

श की क्रम और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
4.3.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
5.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक...18.4.2023... को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

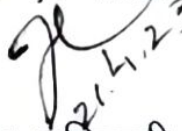
2023

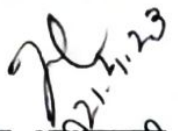
अभिलेख अपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि मौजा.....तंशी खुर्द....., थाना सं०.....403..... खाता सं०-.....54....., प्लॉट सं०.....514..... रकबा.....1.50..... है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं०.....140/2..... पर अमीन खातून के नाम..... से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर से बंदोबस्त/लगान निर्धारण वाद सं०.....39/1990-91..... से प्राप्त है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में

मैचल अधिकारी
मनार पलौमु

विषय:- संविधा/सुदेहास्पद जमावदी केस नं 36/2016-17 से
संवधिर्त जात्र प्रविदेन के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपयुक्त विषय के संबंध में प्रविदेन कना है कि संविधा/
सुदेहास्पद जमावदी केस नं 36/2016-17 से संवधिर्त जात्रे उपरान्त
पाया कि ग्राम पंचायी खुदि के माँग पैजी II के प्रो सं 140/2 पर माँग
बायी रैथर- अमीदा रगतुन 40 मंसूर रँग के नाम से माँग कायम है।
आफि लाईन माँग पैजी II के अनुसार भूमि का विवर निम्न प्रकार है।

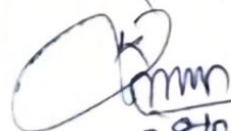
माँगा	खगल	लौत	रखा	परिवर्तन का प्राधिकार
पञ्चीखुदि 403	54 -	514	1.50 ए०	लगान निवारण केस नं 39/90-91 अग्रिम अधिकारी सगर्वो अचलाधिकारि मनार के आदेशानुसार माँग एवम भूमि

उपयुक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष 1990-1991 से वर्ष
2011-12 दर्ज है। अंतिम भुगतान बसिद सं 4935/43 दिनांक 28.5.2011
दर्ज है। माँग बायी रैथर से भूमि संवधिर्त दस्तावेज की माँग की गई,
जिसमें आवेदिका द्वारा आफ लाईन लगान बसिद वर्ष 2011-12 का ह
प्रति एवं लगान निवारण केस नं 39/90-91 रैथर रोल का बाया प्रति
प्रस्तुत किया है जो अभिलेख के साथ दलगत है।

माँग बायी रैथर द्वारा प्रदेन दस्तावेज माँग पैजी
में दर्ज माँग एवं आफ लाईन माँग पैजी II जमावदी के आधार पर
यह मामला संविधा/सुदेहास्पद प्रतीत नहीं होगा है।

आतः जात्र प्रविदेन निम्नानुसार अग्रैर कर
हैतु सादर समधिर्त।

विश्वास भाजन


28/03/23
R. S. I